

दिनांक-
की
आदेश
टिप्पणी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

13

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) कैलाश राम पिता स्व० रुपलाल राम,
(2.) गणेश राम पिता स्व० पुनित राम, (3.) किशोरी पासवान
पिता स्व० लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा,
थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छेटनागपुर कास्तकारी
अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी,
मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992,
रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि विनीता
देवी पति कृष्णा रजक पिता सुरेश रजक, निवास स्थान ग्राम वो
पोस्ट-शाहपुर, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग वर्तमान ग्राम
कुब्बा, पोस्ट-नावाडीह डमौल, थाना-पथलगड्डा, जिला-चतरा के
साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति,
आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात
संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgemnt No.-
RCMSO22030931 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के
आलोक में परमिशन वाद संख्या-757/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय
पत्रांक 3988/रा० दिनांक 03.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी,
कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच
प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 33 दिनांक
24.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला
प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है।
आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया
गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में
प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत
हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। प्रश्नगत भूमि खतियान से
हासिल है। भूमि रैयती कायमी है। खतियानी रैयत लालधारी
दुसाध, हजारी दुसाध वो तेजन दुसाध पेशरान गिरधारी दुसाध हैं।
खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 10.45 एकड़ भूमि है।
पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 6.44
एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है।
खतियान दादा के नाम से है एवं जमाबंदी पंजी-11 के पृष्ठ
संख्या-275, भाग संख्या-1 में विक्रेताकण के पिता पुनीत, लालो
वो रुपलाल पेशरान हजारी दुसाध के नाम से कायम है।
आवेदकगण के हिस्से में कुल रकवा 2.50 एकड़ भूमि है। बिक्री
की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 2.44 एकड़ भूमि बचेगी।
आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि
भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/यन भूमि/सरकारी भूमि के

आदेश की क्रम
संख्या
तारीख

2

अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की विक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) कैलाश राम पिता स्व० रुपलाल राम, (2.) गणेश राम पिता स्व० पुनित राम, (3.) किशोरी पासवान पिता स्व० लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना सं०-81, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छ: डिसमिल) भूमि दिनीता देवी पति कृष्णा रजक पिता सुरेश रजक, निवास स्थान ग्राम वो पोस्ट-शाहपुर, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग वर्तमान ग्राम कुब्बा, पोस्ट-नायाडीह डमौल, थाना-पत्थलगड्डा, जिला-चतरा के साथ भूमि विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।